

डॉ. राममनोहर लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन

Dr. P. K. Chaturvedi*

Professor, Political Science, Government Graduate College, Hatpipliya, District – Dewas, MP

सार - भारत में समाजवादी विचारधारा को एक आन्दोलन का स्वरूप प्रदान करने तथा उसे प्रभावी रीति से प्रचारित करने वाले चिंतकों में डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे एक गांधीवादी चिन्तक राजनीतिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री दार्शनिक तथा विख्यात लेखक थे। जीवन के प्रायः सभी पक्षों पर उन्होंने गहन चिन्तन किया तथा भारतीय परिस्थितियों में इसे व्यावहारिक बनाने के उपायों का सफलतापूर्वक आजीवन अन्वेषण किया। डॉ. लोहिया गांधीवादी थे लेकिन उनके विचारों में उग्रता थी। वे क्रान्तिकारी थे लेकिन उनके विचारों में असाधारण रचनात्मकता थी। वे एक विख्यात एवं सक्रिय राजनीतज्ञ थे, किन्तु उनकी शैली एवं कार्यों में सिद्धान्तों के प्रति असाधारण लगाव था। उन्होंने समाजवाद के महान उद्देश्यों की भारतीय संदर्भों में व्याख्या की तथा उसे व्यावहारिक बनाया।

-----X-----

डॉ. लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार

डॉ. लोहिया के विचारों पर कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गाँधी दोनों के विचारों का असाधारण प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने इनमें अदभुत समन्वय स्थापित किया तथा इनके श्रेष्ठतम तत्त्वों को समाहित करते हुए नवीन- विचारों का विकास किया।

इतिहास का चक्रीय सिद्धांत

डॉ. लोहिया के अनुसार इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि उसकी गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है। एक राष्ट्र उन्नति शिखर पर पहुँच सकता है, तथा चक्रीय गति में वह पतन के गर्त में भी पहुँच सकता है। पुनः एक समय ऐसा आ सकता है कि पतन के गर्त में पहुँचा हुआ राष्ट्र उन्नति करते हुए शिखर पर पहुँच जाय। इस प्रकार राष्ट्रों का उत्थान एवं पतन होता रहता है। उनका कथन था कि वर्गों एवं जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों एवं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष इतिहास में तब तक चलता रहेगा, जब तक कि मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाती।

उन्हें पूर्ण विश्वास था कि संसार में अन्ततः विवेकपूर्ण तरीकों से मानव जाति की बहुरंगी एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी।

भौतिकवाद एवं चेतना दोनों को महत्व

डॉ. लोहिया, कार्ल मार्क्स के द्वन्द्ववात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते थे किन्तु उन्होंने चेतना को अधिक महत्वपूर्ण माना। वे सामान्य उद्देश्यों तथा आर्थिक उद्देश्यों दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते थे। उन्होंने भौतिकवाद में चेतनाविचार के समावेश पर बल दिया।

जाति और वर्गों में संघर्ष की अवधारणा

डॉ. लोहिया के अनुसार इतिहास में जाति और वर्गों में संघर्ष होता रहता है। इसी से इतिहास को गति मिलती है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है, किन्तु वर्गों की आन्तरिक रचना शिथिल होती है। इन दोनों के बीच घड़ी के पेन्डुलम के समान आन्तरिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं से इतिहास को गति मिलती है। डॉ. लोहिया के अनुसार जातियों में सामान्यतः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है। जब कि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचण्ड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। और जातियाँ वर्गों में परिणत हो जाती हैं। मानव जाति का अब तक का इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आन्तरिक संघर्षों का इतिहास है।

समाजवाद का एशियाई स्वरूप

डॉ. लोहिया का विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं, इन्हें एशियाई तरीकों से ही हल किया जाना चाहिये। उनका कथन था कि “एशिया में जहाँ आर्थिक समस्याएँ मुह बाये खड़ी हैं, पश्चिमी ढंग का समाजवादी प्रजातंत्र कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। एशिया के लोग रोटी के लिए अपने प्रजातान्त्रिक अधिकारों को बेचने के लिए सरलता से तैयार हो जायेंगे। परम्परागत तरीके से सोचने पर रोटी की समस्या के समाधान हेतु हमें पूँजीवादी अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना ही अनिवार्य दिखाई देने लगती है, किन्तु दोनों की अर्थव्यवस्था एक जैसी ही है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि पूँजीवाद यदि निजी सम्पत्ति को प्रोत्साहन देता है तो साम्यवाद सार्वजनिक सम्पत्ति को। पूँजी एवं सत्ता का केन्द्रीकरण दोनों में समान रूप से है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण अन्ततः बेकारी को बढ़ा देता है।”

डॉ. लोहिया मानते थे कि युरोप का मशीनी समाजवाद एशिया के देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीबी अधिक है। उनका कथन था कि परम्परागत आर्थिक विकेन्द्रीकरण से एशिया की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। यहाँ बड़ी मशीनों के स्थान पर गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार कुटीर उद्योगों में धन भी कम लगेगा तथा बेकारी भी घटेगी। डॉ. लोहिया सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे। वे पाश्चात्य समाजवाद को संवैधानिक एवं विकासवादी निरूपित करते हुए उसे एशिया के लिए अनुपयोगी मानते थे। उनके अनुसार प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण करके, कम पूँजी से लगने वाली छोटी मशीनों को लगाकर, सम्पत्ति का समाजीकरण करके एवं आर्थिक तथा राजनीतिक समाजीकरण करके एशियाई समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

साम्यवादियों से असहमति

डॉ. लोहिया कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे किन्तु वे साम्यवादियों से सहमत नहीं थे। वे साम्यवादियों के भूमि के पुनर्विभाजन को एक मजाक तथा निरर्थक क्रूरता मानते थे। वे इसलिए भी साम्यवादियों से सहमत नहीं हो पाते थे, क्योंकि व्यवहार में साम्यवादी, आर्थिक दरिद्रता को अस्त्र बनाकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करा देते हैं, अथवा उस पर अनुचित दबाव डालते हैं। साम्यवादियों की पूँजीवाद की व्याख्या उन्हें स्वीकार्य न थी। वे वर्ग संघर्ष की साम्यवादी पद्धति को भी अनैतिक मानते थे।

गांधीवादी पद्धति में आस्था

समाजवाद में पूर्ण आस्था होते हुए भी डॉ. लोहिया को हिंसा से चिढ़ थी। वे सच्चे गांधीवादी थे किन्तु उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में समाजवादी चिन्तन में गांधीवाद प्रबलता के प्रमुख सिद्धांतों का समावेश करने का प्रबलता से प्रयास किया था। समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे गांधीवादी जन आंदोलनों को बहुत प्रभावी मानते थे। वे अहिंसा को सिद्धान्ततः तो स्वीकार करते थे किन्तु मन, वचन एवं कर्म से दूर रहने की गांधी जी की बात को वे अन्तकरण से गम्भीरता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। अपने विरोधियों के लिए वे कटु भाषा का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते थे।

धर्म एवं राजनीति के समन्वय पर बल

डॉ. लोहिया कहा करते थे कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनीति कलही बन जाती है। वे धर्म को “दीर्घकालीन राजनीति” तथा राजनीति को “अल्पकालीन धर्म” कहते थे।

सत्य के संबंध में विचार

डॉ. लोहिया सत्य के महत्व को उसके आध्यात्मिक मूल्य के कारण नहीं बल्कि समाज व्यवस्था के लिए उसकी उपयोगिता के कारण स्वीकार करते थे। वे छल-कपट को हानिकारक मानते थे। वे आलस्य, कर्तव्य निष्ठा का अभाव तथा निष्क्रियता की अवस्था को असत्य एवं सामाजिक प्रगति के मार्ग के बाधक मानते थे। वे समानता पर आधारित सामाजिक न्याय को सत्य मानते हुए, उसमें विश्वास रखते थे।

भारत की पुनः एकता स्थापन में विश्वास

डॉ. लोहिया ने भारत के विभाजन को परिस्थितियों वश स्वीकार किया गया विभाजन माना था। वे मानते थे कि भारत प्रकृति से एक है अतः खण्डित हो जाने के बाद भी वह एक दिन पुनः अवश्य ही एक हो जाएगा।

चैखम्बा राज्य की परिकल्पना

डॉ. लोहिया ने चार स्तम्भों वाले राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने इस राज्य में केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण की परस्पर विरोधी मानी जाने वाली विचार धाराओं का समन्वय करने का प्रयास किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव, मण्डल, प्रान्त तथा केन्द्र सभी के महत्व को स्वीकार किया गया है, तथा उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था

के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। इस राज्य में स्तम्भी का संगठन इस प्रकार किया जाएगा, कि सभी स्तम्भ एक सूत्र में बंधे रहेंगे। ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसा नौकरशाही सत्ता का प्रतीक पद समाप्त कर दिया जाएगा। डॉ. लोहिया मानते थे कि कलेक्टर का पद या ऐसे पद केन्द्रीकरण की बदनाम संस्थाएँ हैं। ऐसे पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

चैखम्बा राज्य में यह ध्यान रखा जाएगा कि,

1. सम्पूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का एक चैथाई भाग ग्राम मण्डल एवं नगर पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाय।
2. पुलिस व्यवस्था इन ग्राम, मण्डल तथा पंचायतों के अधीन रहेगी।
3. जिलाधीष का पद समाप्त करके उसके सभी कार्य जिले की विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिये जाएंगे।
4. कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। यह सम्पत्ति ग्राम, मण्डल, एवं नगर पंचायतों के अधीन रहेगी। तथा उन्हीं के द्वारा शासित रहेगी।
5. चैखम्बाराज्य में राजनीतिक प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रयास किये जाएंगे तथा छोटी मशीनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा।
6. चैखम्बाराज्य का अगला पांचवा स्तम्भ विश्व राज्य होगा जो कि विश्वशांति की स्थापना की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।

डॉ. लोहिया मानते थे कि उपरोक्तानुसार चैखम्बा राज्य के गठन से ही सामान्य व्यक्ति को स्फुर्ति प्राप्त होगी तथा लोकतंत्रिक संवैधानिक सिद्धांतों के निर्माण एवं उनके व्यावहारिक स्वरूप को निखारने के प्रयासों को निरंतरता प्राप्त होगी।

सप्त क्रांति का सिद्धांत

डॉ. लोहिया अनुभव करते थे कि किसी एक जुट कार्यक्रम के अभाव में भारत में प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं। इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उन्होंने समाजवाद के सार्वभौम सात सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने की बात कही थी। ये हैं -

1. स्त्री पुरुष समानता को स्वीकृति,
2. जति सम्बन्धी तथा जन्म सम्बन्धी असमानता की समाप्ति,
3. रंगभेद पर आधारित असमानता की समाप्ति,
4. विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण।
5. व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध, तथा उत्पादन में योजनाबद्ध वृद्धि।
6. व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध,
7. युद्ध के शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत को स्वीकृति।

विश्व संसद का समर्थन

डॉ. लोहिया ने वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिये विश्व संसद का समर्थन किया था। वे चाहते थे कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई विश्व पंचायत की स्थापना होनी चाहिये। इस पंचायत को समस्त राज्यों के युद्ध बजट का एक चैथाई अथवा पांचवा हिस्सा प्राप्त होना चाहिये। वे मानते थे कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत की स्थापना संभव है।

निरंकुश शासन का विरोध

डॉ. लोहिया को निरंकुश शासन स्वीकार्य नहीं था। वे आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। वे आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को राज्य, प्रांत, जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चैखम्बा राज्य की स्थापना करना चाहते थे।

निष्कर्ष

डॉ. राममनोहर लोहिया पर मार्क्सवाद एवं गाँधीवाद दोनों का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपनी निराली शैली में इन दोनों महान विचारधाराओं के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मुक्त चिन्तन, निर्भीकता, मौलिकता और अनूठा समन्वयवाद उनके व्यक्तित्व की सहज विशेषताएँ थीं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक नई समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उन्होंने आधुनिक सभ्यता को स्वीकार किया किन्तु उसमें भी

सुधार करते हुए उसे और अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास किया। डॉ. लोहिया शांतिवादी होते हुए भी प्रबल विद्रोही और महान क्रान्तिकारी थे। आधुनिक भारत को इसी की आवश्यकता है।

संदर्भ:-

1. व्हील ऑफ़ हिस्ट्री: राम मनोहर लोहिया।
2. माक्रस, गांधी एण्ड सोशलिज्म: राम मनोहर लोहिया।
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन: डॉ. वी.पी. वर्मा।
4. आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन: डॉ. पुरुषोत्तम नागर

Corresponding Author

Dr. P. K. Chaturvedi*

Professor, Political Science, Government Graduate College, Hatpipliya, District – Dewas, MP